न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— बाबुलाल जाट (R.A.S.)

नामान्तरकरण अपील संख्या 04/2020 **RCMS No. 2020/00056**

अपीलान्ट

1. सुवा देवी पुत्री स्व. कंवरीदेवी पिता रामूराम पति भंवरलाल जाति जाट निवासी ठठाणा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. सरपंच ग्राम पंचायत सरगोठ पंचायत समिति कुचामनसिटी
2. ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सरगोठ पंचायत समिति कुचामनसिटी
3. पटवारी हल्का सरगोठ तहसील कुचामनसिटी
4. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी तहसील नावां
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुचामनसिटी

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत ग्राम पंचायत सरगोठ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण प्रविश्टि संख्या 240 दिनॉक 16.12.2004 के विरूद्व

उपस्थित — श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

आदेश

दिनॉक :— 13.8.2022

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी के पिता श्री रामुराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ठठाणा की खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमिया ग्राम ठठाणा पटवार मण्डल सरगोठ में खसरा नम्बर 64 रकबा 3.81 हैक्टर में 6 बीघा अर्थात एक हैक्टर एवं सम्पूर्ण खसरा नम्बर 157 रकबा 2.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.08 हैक्टर खसरा नम्बर 238 रकबा 3.52 हैक्टर कुल रकबा 6.58 हैक्टर आई हुई है, अपीलार्थी के पिता रामूराम का दिनॉक 14.12.2001 को निर्वसीयती देहान्त हो जोन के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत मृत रामूराम क प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलार्थी बहैसियत पुत्री एवं गोमाराम बहैसियत पुत्र एवं कंवरीदेवी बहैसियत पत्नी खातेदार हो गये, अपीलार्थी रामूराम एवं कंवरीदेवी से उत्पन्न पुत्री सन्तान है, बावजूद ग्राम पंचायत सरगोठ ने बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये बाले—बाले दिनॉक 16.12.2004 को बोगस तथ्यों के आधार पर विधि के प्रभावी प्रावधानों व अधिकारों के विपरित जाकर हल्का पटवारी भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण कार्यवाही की गई है जो प्रारम्भ से ही अवैध शून्य एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है, उक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि पर स्वीय विधि अनुसार मृत खातेदार रामूराम पुत्र लिछमणराम जाट निवासी ठठाणा ग्राम पंचायत सरगोठ तहसील कुचामनसिटी की अपीलार्थी जीवित पुत्री है इस सम्बन्ध मे पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य जन आधार/भामाशाह भी मौजूद है, रामूराम एवं अपीलार्थी पुत्री होने के कारण प्रथम श्रेणी का वारिस होने के बावजूद जानबूझकर खुले आम कानून का उल्लघन कर पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हल्का एवं ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण पंजिका में प्रविष्टि सं. 240 दिनॉक 16.12.2004 को स्वीकृत करवा लिया जो नामान्तरकरण कार्यवाही की अवैधता विधि विरूद्व के संबंध में आधार है, रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत सरगोठ मे दर्ज नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 240 दिनॉक 16.12.2004 को ही स्वीकृति आदेश काश्तकारी भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में प्रभावी विधि प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है, काश्तकारी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रभावी काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 4 की धारा 38 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार अन्तरित होते है, चूँकि मृतक खातेदार रामूराम के उत्तराधिकारी अपीलार्थी के नाम खातेदारी में अमल दरामद होना चाहिए था परन्तुत अपीलार्थी के पक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण कार्यवाही की गई जो अपने आप में प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी एवं शून्य है तथा ऐसे शून्य बोगस नामान्तरकरण अपील स्वीकृत करने में रेस्पोडेन्ट ने जानबूझकर गलती करके बिना युक्ति युक्त जांच किये गलत अंकन किया गया है, उक्त आक्षेपित नामान्तरकरण के सम्बन्ध में आदेश जारी करना अपने आप में महत्वहीन एवं शून्य होने के आधार पर अपीलान्ट की माता में विधि प्रभाव से निहीत खातेदारी अधिकार से वंचित कर दर्ज किया गया इन्तकाल अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण कार्यवाही की प्रक्रिया में विधि एवं तथ्यों के मध्य नजर सम्यक विधिक सर्तकता नही अपनाई मिलीभगत व सांठ–गांठ कर प्रभावी विधि के अनुरूप पवित्रता शुद्वता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का परीसीलन नही किया उक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि का इन्तकाल कर विधि विरूद्व नामान्तरकरण प्रक्रिया अपना विधि के विरूद्व जाकर अपीलार्थी औरतजात होने के रामूराम जी का फौतगी नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है फलतः ग्राम पंचायत के नमान्तरकरण रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि संख्या 240 दिनॉक 16.12.2004 विधि विरूद्व अन्यायपूर्ण होने से काबिल खारिज है। अपीलाण्ट को नोटिस दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है जो **ab-initio-void** होने से अस्तित्वहीन प्रभावहीन है रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नही करता है, इसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है, यदि किसी ओर हस्तगत कार्यवाही से पूर्व आदेश जेरे अपील की किसी प्रकार की कोई जानकारी नही दी थी, क्योंकि नामान्तरकरण सं. 240 अपीलाण्ट को सुनकर तस्दीक नही किया गया था, अपीलाण्ट को जैरे अपील नामान्तरकरण की जानकारी दिनॉक 24.06.2020 को आक्षेपित नामान्तरकरण की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होते ही यह अपील पेश की गई है, अपीलार्थी की इस्तदुआ है कि आक्षेपित नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम ठठाणा पटवार मण्डल सरगोठ भू.अ.निरीक्षक कुचामनसिटी की नामान्तरकरण पंजिका में दर्ज प्रविष्टि सं. 240 दिनॉक 16.12.2004 को अपास्त कर ग्राम ठठाणा पटवार मण्डल सरगोठ के वर्तमान खसरा नम्बर 64 रकबा 3.81 हैक्टर में 6 बीघा अर्थात एक हैक्टर एवं सम्पूर्ण खसरा नम्बर 157 रकबा 2.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.08 हैक्टर खसरा नम्बर 238 रकबा 3.52 हैक्टर कुल खसरे 4 कुल रकबा 6.58 हैक्टर की खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण पुस्तिका में तारीख 16.12.2004 को स्वीकृति प्रविष्टि संख्या 240 को अपास्त कर पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुये रामूराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ठठाणा तहसील कुचामनसिटी के उत्तराधिकारी अपीलाण्ट के पक्ष को सुनकर खातेदारी में पुनः दर्ज इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

उपखण्ड अधिकारी (मुहर) कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नामान्तरकरण अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण सं. 240 दिनॉक 16.12.2004 की नकल, जमाबंदी नकल सम्वत 2048–2051, 2052–2055, 2056–2059, 2072–2075, खसरा नम्बर 157, 236, 237, 238, 63, 64, मिलान क्षेत्रफल की नकल, जन आधार की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण में अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए नामान्तरकरण पुस्तिका में तारीख 16.12.2004 को स्वीकृति प्रविष्टि संख्या 240 को अपास्त कर पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुये रामूराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ठठाणा तहसील कुचामनसिटी के उत्तराधिकारी अपीलाण्ट के पक्ष को सुनकर खातेदारी में पुनः दर्ज इन्द्राज किये जाने के आदेश किये जाने का निवेदन किया है, ग्राम ठठाणा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी की जमाबंदी नकल सम्वत 2048–2051 खसरा नम्बर 157 रकबा 2.96 हैक्टर में पुसाराम रामूराम पि. लिछमणराम जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 236, 237, 238 कुल रकबा 3.62 हैक्टर में रामूराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट सा. देह दर्ज है, खसरा नम्बर 63, 64 कुल रकबा 3.83 हैक्टर रामूराम पुत्र लिछमणराम 1/4 नानूराम पुत्र हुक्माराम 1/4 हि. रामादेवी बैवा परताराम दुलाराम अमराराम पि. परताराम 1/4 हि. किशनी पत्नी घीसाराम पुसाराम पुत्र घीसाराम 1/4 हि. जाति सा. देह खातेदार नोट– नामान्तरकरण संख्या 16 दि. 5.10.1991 के द्वारा रामादेवी बैवा परताराम दुलाराम अमराराम पि. परताराम 1/4 हि. के स्थान पर गोमाराम पुत्र रामूराम भंवरलाल पुत्र हीराराम 1/4 हि. जाति जाट नोट नामा.सं. 74 दि. 5.11.95 के द्वारा नानूराम पुत्र हुक्माराम 1/4 खसरा नम्बर 64 के स्थान पर भंवरलाल पुत्र हीराराम 1/4 हि. जाट दर्ज किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2052–2055 में पुसाराम रामूराम पि. लिछमणराम जाति जाट सा. देह खातेदार नामा. सं. 137 के द्वारा पूसाराम के स्थान पर रामूराम पुत्र लिछमणराम दर्ज किया गया, खसरा नम्बर 236, 237, 238 कुल रकबा 3.62 हैक्टर में रामूराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट सा. देह दर्ज है, खसरा नम्बर 63, 64 कुल रकबा 3.83 हैक्टर रामूराम पुत्र लिछमणराम 1/4 नानूराम पुत्र हुक्माराम 1/4 हि. गोमाराम पुत्र रामूराम भंवरलाल पुत्र हीराराम 1/4 किशनी पत्नी घीसाराम पुसाराम पुत्र घीसाराम 1/4 हि. जाति सा. देह खातेदार नोट– नामा. संख्या 74 दि. 5.11.1995 के द्वारा नानूराम पुत्र हुक्माराम 1/4 खसरा नम्बर 64 के स्थान पर भंवरलाल पुत्र हीराराम 1/4 जाति जाट नामा. सं. 94 के तहत पुसाराम पुत्र घीसाराम के स्थान पर किशनी पत्नी घीसाराम दर्ज किया गया। सम्वत 2058–2059 में खसरा नम्बर 157 रकबा 2.96 हैक्टर में रामूराम पि. लिछमणराम जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 236, 237, 238 कुल रकबा 3.62 हैक्टर में रामूराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट सा. देह दर्ज है, खसरा नम्बर 64 कुल रकबा 3.81 हैक्टर भंवरलाल पुत्र हीराराम गोमाराम पुत्र रामूराम 1/4 रामूराम पुत्र लिछमणराम 1/4 नानूराम पुत्र हुक्माराम 1/4 हि. किशनी पत्नी घीसाराम 1/4 हि. भंवरलाल पुत्र हीराराम 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार नोट– नामा. संख्या 170 दि. 20.06.2000 के द्वारा किशनी देवी पत्नी घीसाराम उर्फ भूराराम का देहान्त 15.12.99 को होने पर उनके स्थान पर गुलाबी देवी बेवा मांगीलाल प्रेमाराम रामेश्वरलाल गोरूराम पि. मांगीलाल 1/4 हि. दर्ज किया गया, नामा. सं. 219 दि. 5.7.2004 द्वारा बेचान खातेदार गुलाबी बैवा मांगीलाल प्रेमाराम रामेश्वरलाल गोरूराम पि. मांगीलाल 1/4 के स्थान पर भंवरलाल पुत्र हीराराम

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज किया गया। वर्तमान जमांबदी नकल सम्वत 2072–2075 खसरा नम्बर 157, 236, 237, 238 कुल रकबा 6.58 हैक्टर में कंवरी देवी पत्नी रामुराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार, कानाराम पुत्र गोमाराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी, पनाराम पुत्र गोमाराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार, बोदुराम पुत्र गोमाराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी, भंवरी देवी पत्नी गोमाराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुचामनसिटी, मुनकी देवी पत्नी गोमाराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी, श्रवणराम पुत्र गोमाराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी, सोहनराम पुत्र गोमाराम हिस्सा 1/14 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुचामनसिटी दर्ज है। ग्राम ठठाणा की जमाबंदी नकल सम्वत 2072–2075 खसरा नम्बर 64 रकबा 3.81 हैक्टर में कंवरी देवी रामुराम हिस्सा–1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार वगैरह दर्ज है। नामान्तकरण सं. 240 दिनॉक 16.12.2004 की प्रति अनुसार खातेदार रामुराम पुत्र लिछमणराम व गोमाराम पुत्र रामुराम की मृत्यु दिनॉक 14.12.2001 व गोमाराम की मृत्यु दिनॉक 12.08.2004 को हो जाने पर दोनो के उतरा. वारिसान के नाम नामा. स्वीकृत हुआ है, उक्त नामान्तरकरण कानाराम बोदूराम श्रवणराम सोहनराम पनाराम पि. गोमाराम भंवरीदेवी पत्नी गोमाराम मुनकीदेवी पत्नी गोमाराम कंवरी देवी पत्नी रामुराम जाति जाट के नाम दर्ज हुआ, नामान्तरकरण की पुश्त पर वंशावली बनाई गई है जिसमें अपीलार्थी को नही बताया गया है। जबकि अपीलार्थी सुवादेवी रामुराम की पुत्री है, प्रस्तुत जन आधार कार्ड की प्रति में भी अपीलार्थी के पिता का नाम रामुराम एवं माता का नाम कंवरी देवी अंकित है तथा पति का नाम भंवरलाल दर्ज है, अपीलार्थी सुवादेवी जो रामूराम की पुत्री है उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से साबित है, नामान्तरकरण सं. 240 दिनॉक 16.12.2004 भरते समय अपीलार्थी का नाम दर्ज किये जाने से छोड़ दिया गया है जबकि वरवक्त अपीलार्थी का नाम भी दर्ज होना चाहिए था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है, अपीलार्थी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक पिता रामूराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान बहैसियत पुत्री होने के नाते कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार पाने की अधिकार रखती है। अपीलार्थी अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाये जाने के लिए मुश्तहक है। अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य है। अतः स्वीकार कर निम्नवत आदेश दिये जाते है।

आदेश

उपरोक्त सम्पूर्ण बहस एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है और सरंपच ग्राम पंचायत सरगोठ के नामान्तकरण प्रविष्टि ग्राम ठठाणा के नामा. संख्या 240 दिनॉक 16.12.2004 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि वह गुणवागुण के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

आदेश आज दिनॉक 13-8-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)